

25/8/2017

वकील उमरपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साह  
दौरे पर / दीगर कार्य / अवकाश पर है। पत्रावली  
वाली दिनांक 10/8/2017

10/8/2017

उमरपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साह  
दौरे पर / दीगर कार्य / अवकाश पर है। पत्रावली  
वाली दिनांक 28/8/2017

जवाब

28/11/2017

वकील उमरपक्ष हाजिर / एस. डी. ओ. साह  
दौरे पर / दीगर कार्य / अवकाश पर है। पत्रावली  
वाली दिनांक 28/11/2017

जवाब



27/2/2018

पत्रावली सेवा सत्यमेव जयते  
विदेशी सरकार द्वारा पूर्व आदिवासी  
विभाग 10-2-2018 को सेवा से

Web Copy - Not Official

3.5.18

पत्रावली संपन्न लड़ि अहालत  
ज्याय आपके हार 2018 केम्प  
वालाराग मे भानुत 82/पेलेगा  
सरकार का पत्राल सन्त  
बहुत शर्षणा-पत्र लुगी गर्गी  
रूपिणत मे विवला बल मरार  
हे डि मीमा अरमिया की आ०स०  
463, 464, 466, 467, 468,  
469 कुल मित 6 कुल रकमा  
1.59 हे० विवत है। फोटि रनमिठ  
रेवेन्यू रेकार्ड की आ०स० 207/1  
रकमा 8 मिया का दिनांक है 8 मिया

आधिकारिक मॉडेल  
सहायक जनसचिव  
आइ अधिकारी कयासब  
नेहापुर (राजको)

दालत उप (क) अर्चना मुकाम अर्चना  
 बानुराम बनाम अर्चना  
 न मुकदमा नं. 101 सन् 2013

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>का नया-रफ्तार प्र- प्रबन्ध राखा                      1.73 है. होना चाहिए पक्षों उद्योग                      फर्मों आवापियात में 1.59 है. न                      है। पक्षों 0.13 है. कम हर्ष                      किया है वह वास्तव प्रम राह ने                      साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रवर्णना-                      पत्र प्रस्तुत किया है। पक्षों प्रेरीत                      आवाप कारा प्रस्तुत विपक्ष                      प्रवर्णना पत्र के तथ्यों का संग्रह                      किया है। हमने प्रवर्णना पत्र व पक्षों                      प्रवर्णना पत्र का अक्षोभ्य विषय की                      गई वक्त पर मनन किया। प्रथम                      दृष्टि आवाप प्रवर्णना के पत्र में                      रही बनता है। अतः प्रवर्णना-पत्र                      वही स्तर पर स्वामीन किया परता है।                      पक्षों की कल मुद्रा होकर रफ्तार                      के रूप में। अर्चना अर्चना</p>	<p>(अभिषेक गोयल)                      सहायक कलेक्टर एवं                      उपखण्ड अधिकारी, कपासन                      जिला-त्रिनेश्वर (राज.)</p>